



प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि ₹0 84,73,86,069.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4617/यूपीडा/14/लेखा/वित्त नि०, दिनांक 11.12.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800- अन्य व्यय-15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)" के अर्न्तगत प्राविधानित धनराशि ₹0 39626.00 लाख में से शासनादेश संख्या-17/2018/1934/77-3-2018-14बजट/18 दिनांक 20.06.2018 द्वारा ₹0 23,67,80,753.00 एवं शासनादेश संख्या-37/2018/2961/77-3-2018-14बजट/18 दिनांक 25.09.2018 द्वारा ₹0 23,93,82,740.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। हड़को से लिये गये ऋण के सापेक्ष दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक ₹0 56,77,39,650.00 मात्र और पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण के सापेक्ष दिनांक 14.09.2018 से 31.03.2019 तक ₹0 27,96,46,419.00 मात्र अर्थात् कुल धनराशि ₹0 84,73,86,069.00 (₹0 चौरासी करोड तिहत्तर लाख छियासी हजार उन्नहतर मात्र) के ब्याज की देयता आगणित की गई है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 20.06.2018 एवं 25.09.2018 के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित उपलब्ध धनराशि ₹0 348,64,36,507.00 में से ₹0 84,73,86,069.00 (₹0 चौरासी करोड तिहत्तर लाख छियासी हजार उन्नहतर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹0 84,73,86,069.00 (₹0 चौरासी करोड तिहत्तर लाख छियासी हजार उन्नहतर मात्र) की वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800- अन्य व्यय-15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव

संख्या-41/2018/3496(1)/77-3-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।